राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या 1375/2014..जिला.......जयपुर..............
उनवान–मैसर्स शंकर ट्रेडर्स, पावटा, तहसील–कोटपुतली, जयपुर बनाम् स.वा.क.अ.घट–चतुर्थ, वृत्त–डी, जयपुर।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
09.12.2014	**एकलपीठ** **श्री मदन लाल, सदस्य** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक **29.04.2014,** जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत् पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें स.वा.क.अ., घट–चतुर्थ, वृत्त–डी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अधिनियम की धारा 24(6), 76(6), 76(2) व धारा 55 के तहत् पारित निर्धारण आदेश दिनांक 10.**04.2013** में कायम की गयी मांग राशि **रू.61,672/–** के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किये जाने को विवादित कर, सुनवायी के दौरान रू.51,753/– की वसूली कार्यवाही पर रोक लगाने के प्रार्थना की गयी है। अपीलार्थी व्यवहारी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से उप–राजकीय अधिवक्ता श्री रामकरण सिंह बहस हेतु दिनांक 03.12.2014 को उपस्थित हुये। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर रोक आवेदन पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवम् दोनों अवर अधिकरियों द्वारा पारित आदेशों के अवलोकन एवम् उभयपक्षीय तर्कों पर विचार करनें के पश्चात्, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत रोक आवेदन पत्र स्वीकार कर, **रू.51,753/–**की वसूली कार्यवाही पर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, इस आदेश प्राप्ति के 15 पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करने की दशा में, सुनवायी तिथि तक रोक लगायी जाती है । प्रकरण दिनांक 20.03.2015 को एकलपीठ जयपुर के समक्ष नियत हो। निर्णय प्रसारित किया गया । 9.12.14 (मदन लाल) सदस्य	